

F. No. DPE-GM-12/0003/2017-GM-FTS-7878
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhavan,
Block No. 14, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110 003.

Dated: 17/08/2017 August, 2017


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Provision for PNG supply in residential colonies of CPSE employees - regarding.

The undersigned is directed to refer to Committee of Secretaries (CoS) recommendations made during the meeting to review progress of city Gas Distribution Network held on 06.07.2017 at Cabinet Secretariat and to state that one of the recommendations made during the said meeting is as under:

"MoUD and DPE may consider issuing advisory to all Ministries and CPSEs to make provision for PNG supply in residential colonies of government and PSE employees."

2. In view of above, all Administrative Ministries / Departments concerned with CPSEs are requested to advise CPSEs under their jurisdiction to consider making provision for PNG supply in residential colonies / townships of employees.


(J. N. Prasad)
Director

To:

All Administrative Ministries / Departments concerned with CPSEs.

Copy to:

- i. Chief Executive of all CPSEs.
- ii. NIC, Cell DPE, for placing this OM on DPE web-site.
- iii. Shri Amitesh Kumar Sinha, Director, Cabinet Secretariat, in ref. to communication No. 491/2/4/2017-CA.IV dated 14.07.2017.

सं. डीपीई-जीएम-12/0003/2017-जेएम-एफटीएस-7878

भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
दिनांक 11 अगस्त 2017


कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) की रिहायशी कॉलोनियों में पीएनजी आपूर्ति के प्रावधान संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को मंत्रिमंडल सचिवालय में दिनांक 06.07.2017 को शहरी गैस वितरण नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा हेतु की गई बैठक के दौरान सचिवों की समिति (सीओएस) की सिफारिशों का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बैठक के दौरान की गई सिफारिशों में से एक निम्नानुसार है:

“शहरी विकास मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग सरकारी तथा लोक उद्यमों के कर्मचारियों की रिहायशी कॉलोनियों में पीएनजी की आपूर्ति हेतु प्रावधान करने के लिए सभी मंत्रालयों एवं सीपीएसईज़ को सलाह जारी करने पर विचार कर सकते हैं।”

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सीपीएसईज़ से संबद्ध सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसईज़ को सलाह दें कि वे कर्मचारियों की रिहायशी कॉलोनियों/टाउनशिप्स में पीएनजी की आपूर्ति हेतु प्रावधान करने पर विचार करें।


11/08/2017
(जे.एन.प्रसाद)

निदेशक

सेवा में,

सीपीएसईज़ से संबद्ध सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि:

- i. सभी सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक।
- ii. इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए एनआईसी प्रकोष्ठ, डीपीई।
- iii. श्री अमितेश कुमार सिन्हा, निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय को उनके दिनांक 14.07.2017 के पत्राचार सं. 491/2/4/2017-सीए.IV के संदर्भ में।